



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50665

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1015/2026

अब्दुल अजीज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा एवं राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र भूषण दुबे को सुना।
- वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"प्रत्यर्थी संख्या 2, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत लंबित निगरानी संख्या 4429/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20241763004429) (अब्दुल माजिद बनाम उप जिलाधिकारी, तहसील बांसी, जिला सिद्धार्थ नगर एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का आदेश या निर्देश जारी करें।"
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 की कार्यवाही से उत्पन्न निगरानी, जिसमें याचिकाकर्ता को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, वर्ष 2024 से प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि तहसीलदार ने प्रश्नगत भूखंड पर याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थियों का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया था जिसे अपील में बरकरार रखा गया था, किंतु राजस्व परिषद ने मनमाने ढंग से तहसीलदार और उप-जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व परिषद को मामले का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने आदेश तालिका की प्रमाणित प्रति, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है, यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की कि मामला त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ रहा है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, संबंधित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार, उपर्युक्त निगरानी को यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः 2 महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करें।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

मार्च 12, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"